निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 149/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र रामनाथ जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम रामपुरा वास दूधली, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री मोतीलाल हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रामपुरा वास, दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2022 ब उनवानी सरकार बनाम राजू उर्फ राजेन्द्र व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थित:-

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री धर्मेन्द्र भाटी अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 06.10.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 06/2022 ब उनवानी सरकार बनाम राजू उर्फ राजेन्द्र व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र भाटी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जान बूझ कर व कपट पूर्वक मुख्त्यारनामा आम निरस्त की सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी उप पंजीयक कर्मचारियों को मुगालते मे रखते हुये निरस्त

जिला कलक्टर
जयपुर

किये गये मुख्त्यारनामें के आधार पर प्रश्नागत भूमि का विक्रय पत्र अपने पक्ष में दिनांक 28.12.2021 को उप पंजीयक बस्सी के यहां करवा लिया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपना नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार बस्सी के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिस पर तहसीलदार बस्सी ने प्रार्थी को नोटिस जारी किये। तहसीलदार बस्सी के यहां उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया अपने जबाब में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने पक्ष में कराये गये कपटपूर्वक विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण नहीं खोलने व कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए आग्रह किया, लेकिन तहसीलदार बस्सी के रवैये से जाहिर होता है कि वो अप्रार्थी संख्या 1 को सदोष लाभ पहुंचाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने पर आमादा है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 11 के द्वारा लगातार धमकी दी जाती है कि मौजूदा पीठासीन अधिकारी से मेरी अच्छी जान पहचान है इस कारण हम लोग अपने अनुसार उक्त पत्रावली का फैसला करवा देंगे तथा यह भी कहते है कि तू कितना भी जोर लगा ले, हम लोग तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। प्रार्थी जब भी कोर्ट में जाता है तो पता चलता है कि अप्रार्थी संख्या एक हर वक्त पीठासीन अधिकारी के चैम्बर मे बैठा रहता है तथा बाहर आकर प्रार्थी को धमकी देता है कि देख ले मेरी अधिकारी के साथ किस प्रकार से जान पहचान है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर मेरे पक्ष में नामान्तरकरण खुलवा कर रहूंगा। तू कुछ भी नहीं कर पायेगा। इससे प्रार्थी को किसी भी रूप से तहसीलदार बस्सी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण उक्त पत्रावली को न्याय हित में अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को तहसीलदार बस्सी से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। फिर भी यदि किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली व पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 2 भी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. तहसीलदार बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 6/2022 ब उनवानी सरकार बनाम राजू उर्फ राजेन्द्र व अन्य को तहसीलदार सांगानेर को मुन्तकिल किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

9. पक्षकारान तहसीलदार सांगानेर के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 01.11.2022 को उपस्थित हो। तहसीलदार सांगानेर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुनकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार बस्सी व तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

11. निर्णय आज दिनांक 06.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर